उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन प्रथम तल मोथरोवाला देहरादून 248001

फोन/फैक्स : 0135–2532619 ई–मेल–ceo_uldb@rediffmail.com

पत्रांक 2820 /यू.एल.डी.बी/रिवाईज कृ0गर्भाधान शर्ते पत्रा. /2018–19/ दिनांक 11 अक्टूबर 2018

परिपत्र

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्रचलित समस्त शर्तो का अतिक्रमण करते हुए तत्काल प्रभाव से संशोधित शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जा रहा है। भविष्य में समस्त आवेदकों से आवेदन पत्र संशोधित शर्तो एवं आवेदन पत्र के प्रारूप पर ही प्राप्त किये जायेंगे तथा संशोधित शर्ते तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) हेतु शर्ते, नियमावली एवं आवेदन का प्रारूप निम्नवत् है–

यू.एल.डी.बी. द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के इच्छुक बेरोजगार नवयुवकों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले अभ्यर्थियों हेतु गाय/भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ–साथ जिस स्थान/गांव में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारम्भ करना चाहता है, का स्थायी निवासी होना आवश्यक है जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, और उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल एवं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को वरीयता होगी। यू.एल.डी.बी. के माध्यम से चार माह का कृत्रिम गर्भाधान कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो अपने गृह क्षेत्र के उस स्थान/गांव पर उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में कार्य करेगा, जिस स्थान की 5 किमी की परिधि में पूर्व से पशुपालन विभाग/डेरी विभाग/बॉयफ तथा अन्य किसी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित न हो। **04 माह के इस प्रशिक्षण** का व्यय क्रमशः यू.एल.डी.बी. एवं सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी द्वारा निम्नवत् वहन किया जायेगाः

क. यू.एल.डी.बी. द्वारा– (जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय, बोर्डिंग लाजिंग आदि सम्मिलित होंगे) :–

1. **कक्ष प्रशिक्षण** – यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक–ऋषिकेश में :
   (प्रशिक्षण समापन के दिन को सम्मिलित करते हुये) – 31 दिन
2. **पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी फार्म में व्यवहारिक प्रशिक्षण** – 15 दिन

ख. फील्ड प्रशिक्षण–

- राज्य के ऐसे ए.आई. केन्द्रो पर, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, प्रशिक्षणार्थियो को **74 दिन** (अलग–अलग 02 कार्यरत ए. आई. केन्द्रो पर क्रमशः 25 एवं 25 दिन) का फील्ड प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसके लिये प्रशिक्षार्थियों को यू.एल.डी.बी. से ₹2000. 00 फील्ड प्रशिक्षण हेतु गुजारा भत्ता देय होगा। इसमे से ₹1000.00 प्रशिक्षण के लिये प्रस्थान करते समय और ₹1000.00 प्रशिक्षण के अंत में सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ए.आई. केन्द्रो से लाकर प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध कराने पर दिया जायेगा।
- 24 दिन का अंतिम फील्ड प्रशिक्षण व्यय प्रशिक्षार्थियो को स्वयं वहन करना होगा, जिसके लिये उन्हे उनके निवास स्थल/प्रस्तावित कार्य स्थल के निकटतम ए.आई. केन्द्र, जहां पर्याप्त ए.आई. हो रही हो, पर भेजा जायेगा।

3. प्रशिक्षणोपरांत जिन उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को यू.एल.डी.बी. द्वारा एन.पी.बी. बी. योजनान्तर्गत क्रायोकेन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ए.आई. गन आदि निःशुल्क दिये जाने की दशा में उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा उपरोक्त सामग्री की समुचित गारन्टी यथा किसी बीमा कम्पनी से Fidelity Bond दिया जायेगा। क्रायोकेन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं ए.आई. गन निःशुल्क अनुमन्य किये जाने का अधिकार, मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. का होगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को समस्त मापदण्डों पर उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही निःशुल्क सामग्री अनुमन्य किये जाने हेतु निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. यदि प्रशिक्षणार्थी को यू.एल.डी.बी. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु सामग्री यथा–क्रायोकेन, ए.आई. गन आदि दिये जाने के पश्चात् सम्बन्धित उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य न किये जाने की दशा में दी गयी समस्त सामग्री बोर्ड को वापस की जायेगी, जिस हेतु कुमायूं मण्डल के उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) द्वारा सामान वापसी सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल) में एवं गढ़वाल क्षेत्र के कार्यकर्ता अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश को सामग्री वापस की जायेगी। इस आशय का लिखित शपथ पत्र उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) एवं बोर्ड के मध्य किया जायेगा।

5. प्रशिक्षणोपरांत ऐसे उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को देय मानदेय के एवज में सहायता मद'' से गाय/भैंस के 160 फ्रोजन सीमेन स्ट्रा तथा 12 महीने तक तरल नत्रजन व अन्य ए.आई इनपुट्स ₹6000.00 की अधिकतम सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके द्वारा कृत ए.आई. कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और वांछित सूचनाएं/एम.पी.आर. आदि यू.एल.डी.बी. को समय से उपलब्ध होती रहें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के ए.आई. कार्यों की समीक्षा/आंकलन करके उसे अगले/आगामी माह/महीनों में वांछित इनपुट्स उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. एक वर्ष बाद उन्हें यह सामग्री यू.एल.डी.बी. को भुगतान देकर प्राप्त करना होगा क्योंकि एक वर्ष की अवधि में सम्बन्धित उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) अपने क्षेत्र में ए.आई. कार्य का पूर्णतः प्रचार–प्रसार कर लेगा और क्षेत्र/पशुपालकों से भिज्ञ/परिचित भी हो जायगा, फलस्वरूप उसका कार्य बढ़ेगा/बढ़ने लगेगा और उसे सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
7. सभी उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) प्रारम्भ से ही अपने एवं पशुपालक के मध्य आपसी सहमति से तय की गई ए.आई शुल्क की धनराशि को वसूल करके अपने पास रख सकेगे, जो उनके जीविकोपार्जन का संसाधन होगा।
8. इन उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) का कार्य स्थल उनके गृह क्षेत्र के मोटर मार्ग (रोडहेड) पर होना नितान्त आवश्यक है, जिससे उन्हे यू.एल.डी.बी. के सचल तरल नत्रजन वाहन से नियमित रूप से प्रत्येक माह तरल नत्रजन, फ्रोजेन सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. उपकरणो की आपूर्ति सम्भव हो सके।
9. दुग्ध समितियों/महिला डेरी समितियों के प्रशिक्षार्थी भी ऐसी समिति में अपना मुख्यालय बनायेंगे, जो पक्की सड़क (मोटर मार्ग) पर स्थित हो, जिससे वहां तरल नत्रजन, सीमेन स्ट्रा एवं अन्य ए.आई. इनपुट्स की आपूर्ति सुगमता से हो सके।
10. यह भी सुस्पष्ट करना है कि ऐसे प्रशिक्षार्थी यू.एल.डी.बी. की ओर से उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में प्रशिक्षित किये जायेगे और उसी रूप में अपना कार्य भी सम्पादित करेंगे तथा वह यू.एल.डी.बी. अथवा पशुपालन विभाग के कर्मचारी नहीं होंगे, न ही वे कभी ऐसा क्लेम करने के अधिकारी होंगे।
11. सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी तथा सम्बन्धित अग्रसारण अधिकारी अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित कर लें कि उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में उनके कार्य क्षेत्र में कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में 750 एवं मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 तक प्रजनन योग्य पशु (Breedable Cattle and Buffalo) अवश्य हों।
12. ग्रामीण स्तर से उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, गठित चयन समिति मे सम्बन्धित क्षेत्र के **ग्राम प्रधान/सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी एवं जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी नामित होंगे** जिनके अनुमोदन उपरान्त यू.एल.डी.बी. को सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे। समिति की संस्तुति के उपरान्त ही उपयुक्त आवेदकों के आवेदन पत्र यू.एल.डी.बी. को प्रेषित किये जायेंगे। प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं प्रशिक्षण की समस्त शर्तो को पूर्ण करने की दशा में ही प्रशिक्षण हेतु अनुमोदन किये जाने का अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. का होगा।
13. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के सम्बन्ध में उनके द्वारा दी गयी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में प्रशिक्षण निरस्त किये जाने एवं उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में मान्यता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी. को होगा।
14. चयन समिति किसी भी आवेदक का आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पूर्व यह निर्धारित कर लें कि उक्त स्थान की 5 किमी0 की परिधि में पूर्व से कोई भी पशुपालन विभाग/डेरी विभाग/बायफ/उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित न हो। समिति आवेदन पत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र भी देगी कि जहां पर आवेदक द्वारा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने हेतु प्रशिक्षण की मांग की गयी है वह उसी ग्राम सभा/न्याय पंचायत का स्थानीय निवासी है। त्रुटिपूर्ण एवं गलत संस्तुति किये गये आवेदन पत्रों की संस्तुति हेतु समिति उत्तरदायी होगी तथा ऐसे आवेदन पत्रों को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
15. यदि किसी गांव/समिति से एक ही कार्य स्थल के लिये दो अथवा अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल) की मैरिट/आयु आदि के आधार पर उनमे से एक ही आवेदन पत्र को स्वीकार करने तथा शेष को अस्वीकार करने का अधिकार यू.एल.डी.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।
16. सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी को उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं) के रूप में अपने सहभागी अंशदान (Participatory Contribution) के रूप में ₹2,000 प्रशिक्षण में आने पर संयुक्त निदेशक यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्देशित बैंक में यू.एल.डी.बी. के खाते मे जमा करना होगा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा उक्त धनराशि प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को उपलब्ध कराना होगा, जो वापस नहीं (नॉन रिफन्डेबुल) होगा।
17. यू.एल.डी.बी. द्वारा यदि उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/ स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को प्रशिक्षणोपरांत लगभग ₹40,000 का क्रायोकैन एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा ए.आई गन आदि उपलब्ध कराये जाते है तो सम्बन्धित उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को समक्ष ₹100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र (एम.ओ.यू.) करना होगा तथा दिये गए इन्फ्रास्ट्रक्चर के मूल्य के समतुल्य धनराशि की समुचित गारंटी यथा– Insurance Company का Fidelity Bond यू.एल.डी.बी. को देना होगा। इसका शुल्क सम्बन्धित Insurance Company को उन्हें स्वयं भुगतान करना होगा।

18. प्रशिक्षणोपरांत ऐसे सभी उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को यू.एल.डी.बी. में अपने को पंजीकृत कराना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹100.00 (यू.एल.डी.बी. को देहरादून में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा) सम्बन्धित (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) को वहन करना होगा।
19. ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) कहा जायेगा, और वे अपने क्षेत्र में लाभार्थियों/पशुपालकों के सच्चे हितैषी/मित्र एवं स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे।
20. यू.एल.डी.बी. द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का पालन न करने वाले आवेदक/उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) का प्रशिक्षण/उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में मान्यता समाप्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।
21. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण हेतु दिये गये तथ्य यदि असत्य पाये जाते है तो प्रशिक्षण/उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री/स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) की मान्यता बोर्ड द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
22. उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री /स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) हेतु आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, मूल पत्राचार का पता आदि सहित अपना संपूर्ण विवरण/पूर्ण बायोडेटा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से यू.एल.डी.बी. को उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रशिक्षण प्राप्त करने का तात्पर्य यह नही है कि प्रशिक्षणार्थी को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सामग्री दी जायेगी , उसको नियमानुसार ही इनपुटस उपलब्ध कराये जायेगे ।
24. मैत्री/ स्वःरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मात्र यू0एल0डी0बी0 से उत्पादित अतिहिमीकृत वीर्य का ही उपयोग करेगे। अन्यथा की स्थिति मे स्वःरोजगारी का पंजीकरण तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
25. प्रशिक्षण के उपरान्त मैत्री/ स्वःरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता मा त्र कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करेगे, और नियमित रूप से कृत्रिम गर्भाधान की मासिक प्रगति रिपोर्ट यू0एल0डी0बी0 मुख्यालय को प्रत्येक दशा मे उपलब्ध करायेगे ऐसा ना करने पर उनके केन्द्र की इनपुटस आपूर्ति बन्द करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
26. मैत्री/स्वःरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा बिना अनुमति के कार्य से पृथक होने पर उसको उपलब्ध करायी गयी कृत्रिम गर्भाधान सामग्री वापस करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप मे ₹10000.00 (दस हजार मात्र) यू0एल0डी0बी0 को भुगतान करना होगा।
27. मैत्री/ स्वःरोजगारी कृत्रिम कार्यकर्ता द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भवन की विस्तृत जानकारी यू.एल.डी.बी. मुख्यालय को देगा और उसमे कृत्रिम गर्भाधारन केन्द्र का स्थलीय नाम सहित एक पठनीय बोर्ड लगायेगा जिसका निरीक्षण यू.एल.डी.बी./पशुपालन विभाग के अधिकारी किसी भी दिवस कर सकते है।

संलग्नक : आवेदन पत्र का प्रारूप।

ह0/–

(डा0 ए0एस0 नयाल)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

पत्रांक 2820 /यू.एल.डी.बी./एन.पी.बी.बी. कृ.गर्भा0 प्रशि./2018–19/दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रबन्धक, सीमेन बैंक लालकुंआ (नैनीताल)।
2. अपर प्रबन्धक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश।
3. संयुक्त निदेशक/प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश।
4. प्राचार्य, यू.एल.डी.बी. प्रशिक्षण केन्द्र, कालसी।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमायूं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (IFAD-ILSP), उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) 216, फेज–2, पंडितवाडी, देहरादून।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, जलागम प्रबन्ध, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अपर मुख्य कार्यकम अधिकारी , बॉयफ नत्थनपुर जोगीवाला मसूरी रिंग रोड दे0दून।

(डा0 ए0एस0 नयाल)
मुख्य अधिशासी अधिकारी

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून –248001
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अन्तर्गत
उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता)
के प्रशिक्षण में चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो

1. आवेदक का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्म तिथि : .....
4. मूल निवास का पता– ग्राम/समिति : .....
   पो.आ..... विकासखण्ड.....
   जनपद : ..... पिन कोड : .....
5. सम्पर्क हेतु दूरभाष/मोबाईल नम्बर : .....
6. आधार नं0 .....
7. सामाजिक स्थिति'– सामान्य/पिछड़ी जाति/अनु.जाति/अनु. जनजाति
8. आर्थिक स्थिति– एपीएल/ बीपीएल
9. शैक्षिक योग्यता :

क्र.स.	शैक्षिक योग्यता	संस्था/कालेज विश्वविद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएं सत्य हैं। मै ₹2000.00 अप्रतिदेय (नान रिफन्डेबल) सहभागी अंशदान के रूप में जमाकर स्वेच्छा से स्वरोजगार सृजन हेतु चार माह का गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ तथा उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में पंजीकरण करने हेतु प्रशिक्षण के उपरान्त यू.एल.डी.बी. के पक्ष में ₹100.00 रूपये का बैंक ड्राफ्ट एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु एक सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं अन्य शर्तो की गारन्टी हेतु फिडैलिटी बॉन्ड/बीमा पालसी देने के लिये सहमत/तत्पर हूँ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी समस्त जानकारी सत्य है, किसी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा मेरा प्रशिक्षण/ उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) के रूप में पंजीकरण निरस्त किये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व मुझ स्वंय का होगा।

दिनांक : .....

संलग्न :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

1. शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति
2. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति
3. आधार कार्ड की छायाप्रति

चयन समिति की संस्तुति मोहर एवं हस्ताक्षर सहित

1. आवेदक गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान विषयक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य है, जिसे चार माह का सन्दर्भित प्रशिक्षण देने की संस्तुति की जाती है।
2. प्रशिक्षण उपरान्त आवेदक को ..... .(**स्थान का नाम**) में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने हेतु इनपुटस वितरण की संस्तुति की जाती है क्योंकि इस स्थान के पांच किलोमीटर की दूरी तक एन.पी.बी.बी. योजना की कोई कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त स्थान तक वाहन जाने हेतु पक्का मार्ग उपलब्ध है तथा स्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित है और उक्त स्थल तक वाहन जाने–आने हेतु प्रदेश की सीमा पार नहीं करनी होगी।
3. यह कि आवेदक जिस स्थान पर उत्तराखण्ड पशुधन साथी (मैत्री स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता) केन्द्र खोलने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है वह उसी स्थान/गांव का स्थायी निवासी है।

(ग्राम प्रधान) (पशु चिकित्साधिकारी) (मुख्य पशुचिकित्साधिकारी)